

7



R-1368-III/2011

- 1. चिन्ती देवी वेवा पत्नी मोलई प्रसाद निवासी
ग्राम भुइयांडोल तहसील रामपुर नैकिन जिला
सीधी ४ म० प्र० ४
- 2. रामकपाल तनय रामचन्द्र बा० निवासी ग्राम
भुइयांडोल तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी
४ म० प्र० ४ ----- आवेदकगण

श्री लाला देवी देवी
पु. 30/1/11
17/8/11

इनाम

- 1. दीपेन्द्र कुमार गौतम तनय विराज कुमार गौतम
पेशा खेती निवासी ग्राम भुइयांडोल तहसील
रामपुर नैकिन जिला सीधी ४ म० प्र० ४
- 2. मध्यप्रदेश शासन ----- अनावेदक

नगरानी याचिका विरुद्ध आदेश कोर्टर महोदय
सीधी जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक-08/अपील/
2001*2002 में पारित आदेश दिनांक 21-6-20
जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक तरीके से अपील
धीर्गण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की गयी
है।


नगरानी याचिका अन्तर्गत धारा -7 म० प्र० वा.
स्थान दखलकार ४ भूमि स्वामी अधिकारों का प्र
किया जाना ४ अधिनियम 1980,

मान्यवर,

ugh

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित आधारों पर
यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है :-

1/2/11

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-5-15	<p>आवेदक श्री अरुण को कोई उपरोक्त नहीं, समग्र-समय पर तीन बार आवेदन कराई गई मिला आवेदक श्री अरुण से कोई उपरोक्त नहीं हुआ आवेदक के सूचना उपरोक्त भी उपरोक्त रहने के कारण प्रकरण अलग करवा में आवेदन किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त प्रकार का</p> <p style="text-align: right;"> अक्षर</p>	

शाक्षे